The Uttar Pradesh Basic Shiksha Adhiniyam, 1972

Act 34 of 1972

Keyword(s):
Niyat Date, Basic Education, Parishad, Sthaniya Nikay, Municipality

Amendments appended: 18 of 2000, 2 of 2018

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

L.H.15/72-07
Cop. 4
135891

पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 अगस्त, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 4 अगस्त, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 अगस्त, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 अगस्त, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।)

बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में— परिभाषायें

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है जब परिषद् स्थापित की जाय;

(ख) "बेसिक शिक्षा" का तात्पर्य हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कालेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और पद "बेसिक स्कूल" का तद्नुसार अर्थ लगाया जायगा;

(ग) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् से है;

(घ) "निदेशक" तथा "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों" का तात्पर्य क्रमशः बेसिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से है;

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 28 जुलाई, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

(ङ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य जिला परिषद्, अंतरिम जिला परियद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी, जैसी भी दशा हो, से है।

परिषद् का गठन

3—(1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत कर, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् स्थापित की जायगी।

(2) परिषद् शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी, तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसे सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति होगी और अपने नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) निदेशक, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों के अध्यक्षों में से, यदि कोई हों, नाम-निर्दिष्ट किय जायेंगे;

(ग) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं के नगर प्रमुखों में से, यदि कोई हो, नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(घ) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेन्टों में से, यदि कोई हो, नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ङ) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(च) प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान, पदेन;

(छ) दो शिक्षाविद्, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ज) एक अधिकारी जिसका पद उप-निदेशक, शिक्षा के पद से कम न हो, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा, और जो सदस्य—सचिव होगा।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ङ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपने विभाग के किसी अधिकारी को जिसका पद राज्य सरकार के उप-सचिव के पद से कम न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा तथा उसे मत देने का भी अधिकार होगा।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् के सदस्यगण सामान्यतया नियुक्ति-आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये पद धारण करने के हकदार होंगे, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति पहले ही समाप्त न कर दी जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है।

(6) परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति के दौरान बने रहे सदस्य कार्य कर सकते हैं मानों कोई रिक्ति न हुई हो।

(7) परिषद् के संगठन में केवल किसी रिक्ति या किसी दोष होने के कारण परिषद् का कोई कार्य अथवा कार्यवाही अविधिमान्य न समझी जायगी।

परिषद् के कृत्य

4—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कृत्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उसके लिए अध्यापक-प्रशिक्षण दिये जाने को संगठित करना, उसका समन्वय करना, तथा उस पर नियंत्रण करना, और उसके स्तर को ऊंचा उठाना और उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा-प्रणाली से परस्पर संबद्ध करना, होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् को, विशेषतया, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:—

(क) बेसिक शिक्षा और उस हेतु अध्यापक-प्रशिक्षण के लिए संशिक्षण-क्रम तथा पुस्तकें विहित करना;

(ख) जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं का संचालन करना जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर उसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभ्यर्पित करे और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

(ग) शिक्षण देने तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये परीक्षार्थियों को तैयार कराने के प्रयोजन से, संस्थाओं को ऐसी शर्तों के अधीन जो वह लगाना उचित समझे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना या निलम्बित करना और ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा उन पर अधीक्षण रखना;

(घ) बेसिक स्कूलों, नार्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्था का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियन्त्रण रखना;

(ङ) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार तथा सुधार एवं उसमें अनुसंधान हेतु योजनाएं तैयार करना;

(च) किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना या निस्तारण करना और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना;

(छ) राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता और ऋण प्राप्त करना;

(ज) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो।

परिषद् का कार्य-संचालन

5—(1) परिषद् और धारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा धारा 11 में अभिदिष्ट गांव शिक्षा समिति का कार्य ऐसे विनियमों के अनुसार संचालित किया जायगा, जिन्हें परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से तदर्थ बनाये।

(2) विशेषतया, और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) परिषद् अथवा उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी समिति की बैठकें बुलाना और करना, ऐसी बैठकों का कार्य-संचालन और ऐसी बैठक में गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद् के अध्यक्ष और सचिव तथा अन्य अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(घ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् या किसी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया;

(ङ) परिषद् द्वारा धृत अथवा उसके नियंत्रणाधीन स्कूलों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा कोई विनियम न बनाया जाय, कोई विनियम जो उक्त उपधारा के अधीन बनाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये विनियम में परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे विखंडित कर सकती है।

परिषद् के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

6—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ, परिषद् उतने अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।

(2) ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होंगी।

(3) किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती के नियमों में, ऐसी चयन समिति संघटित की जाने की व्यवस्था होगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा संबद्ध स्थानीय निकाय का एक प्रतिनिधि और निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी राजकीय इंटरमीडिएट कालेज का प्रिंसिपल अन्य सदस्य होंगे और निदेशक के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन पर आनुशासनिक नियंत्रण रखने की भी व्यवस्था होगी।

परिषद् की निधि

7—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियां उसमें जमा की जायंगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायंगे।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, परिषद् को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर अथवा प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

8—(1) परिषद् उचित लेखा तथा अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, वार्षिक लेखा विवरण-पत्र तैयार करेगी।

(2) परिषद् एक वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (बजट) तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा एसे प्राधिकारी द्वारा की जायगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

9—(1) नियत दिनांक को और से केवल बेसिक स्कूलों के संबंध में किसी स्थानीय निकाय के अधीन उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व कार्यरत प्रत्येक अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी (जिसके अन्तर्गत कोई पर्यवेक्षी या निरीक्षण कर्मचारिवर्ग भी है) परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे और वे परिषद् के अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और वे उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे धारण करते यदि परिषद् संघटित न की गयी होती और वे तब तक इस प्रकार बने रहेंगे जब तक कि परिषद् द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों में यथाविधि परिवर्तन न कर दिया जाय;

प्रतिबन्ध यह है कि नियत दिनांक के पूर्व किसी एसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा स्थानीय निकाय के अधीन की गयी कोई सेवा परिषद् के अधीन की गयी सेवा समझी जायगी;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों का संपादन करने के लिए जिन्हें वह उचित समझे, किसी एसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कार्य ले सकती है और प्रत्येक ऐसा अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तद्नुसार संपादन करेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी पर लागू न होगी जो नियत दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकार को तदर्थ लिखित नोटिस द्वारा परिषद् का कर्मचारी न होने के लिए अपना विकल्प सूचित कर दे, और यदि कोई कर्मचारी एसी नोटिस देता है तो स्थानीय निकाय के अधीन उस की सेवा नियत दिनांक से समाप्त हो जायगी और वह स्थानीय निकाय से प्रतिकर का हकदार होगा जो निम्नलिखित होगाः—

(क) स्थायी कर्मचारी को दशा में, उस क तीन माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए वेतन (जिस के अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि।

(ख) अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके एक माह की अवधि या उस की सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, उसमें अभिदिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् का कर्मचारी हो जाय, ऐसे स्कूल अथवा स्थानीय क्षेत्र से जिस में वह नियत दिनांक के तत्काल पूर्व सेवायोजित था, परिषद् के किसी अन्य स्कूल या संस्था अथवा यथास्थिति, किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के तत्काल पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक को किसी अन्य स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल में स्थानान्तरण, सिवाय उसकी सहमति क नहीं किया जायगा।

(4) यदि इसके सम्बन्ध में कि किसी व्यक्ति की सेवा उपधारा (1) के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित हुई या नहीं अथवा नियत दिनांक के तत्काल पूर्व ऐसे कर्मचारी के पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(5) उपधारा (1) में अभिदिष्ट कर्मचारियों के लिए किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित कोई भविष्य-निधि, ऐसे कर्मचारियों तथा स्थानीय निकाय के भी सम्पूर्ण अंशदान सहित जिसे नियत दिनांक के पूर्व जमा किया जाना चाहिये था किन्तु जमा न किया गया हो, स्थानीय निकाय द्वारा परिषद् को अन्तरित की जायगी जिसे वह ऐसी निधि को नियंत्रित करने वाले निर्बन्धनों तथा शर्तों के अनुसार सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए न्यास के रूप में रखगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाओं को परिषद् म स्थानान्तरित किये जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायगा।

जिला बेसिक शिक्षा समितियां

10—(1) प्रत्येक जिले के लिए एक समिति स्थापित की जायगी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिस में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो अध्यक्ष होंगे ;

(ख) तीन व्यक्ति जो जिला परिषद् या अन्तरिम जिला परिषद् के, यदि कोई हों, सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ग) तीन व्यक्ति जो जिले में स्थित नगर महापालिकाओं, नगरपालिका बोर्डों, नोटिफाइड एरिया कमेटियों तथा टाउन एरिया कमेटियों के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(घ) एक व्यक्ति जो निदेशक द्वारा जिले में, निम्नांकित में प्रत्येक से, अर्थात् :—

(1) लड़कों के इन्टरमीडियेट कालेजों के, प्रिंसिपलों में से,

(2) लड़कियों के इन्टरमीडियेट कालेजों के, प्रिंसिपलों में से,

(3) लड़कों के राजकीय नार्मल स्कूलों के, प्रधानाध्यापकों में से, और

(4) लड़कियों के राजकीय नार्मल स्कूलों की, प्रधानाध्यापिकाओं में से,

नाम निर्दिष्ट किया जायगा ;

(ङ) तीन से अनधिक अन्य शिक्षाविद् जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(च) विद्यालय उप निरीक्षक, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यगण ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(3) परिषद् समिति से ऐसे विषयों पर परामर्श करेगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और उससे किसी अन्य विषय पर भी परामर्श कर सकती है।

गांव शिक्षा समितियां

11—(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन गांव सभा स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) गांव सभा का प्रधान जो अध्यक्ष होगा,

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिनमें से एक संरक्षक महिला होगी) जो विद्यालय अवर उप निरीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे,

(ग) उस गांव या गांव समूह में बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक, और यदि एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम, जो उसका सदस्य-सचिव होगा।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, समिति—

(क) बेसिक स्कूल के भवनों और उनके उपस्करों में सुधार करने के लिए यथास्थिति, जिला परिषद् अथवा अन्तरिम जिला परिषद् को सुझाव देगी ; और

(ख) ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी और अध्यापकों द्वारा समय पालन किये जाने तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी।

बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण

12—(1) निदेशक किसी बेसिक स्कूल (चाहे वह किसी स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति अथवा निकाय का हो) और बेसिक शिक्षा के संबंध में स्थानीय निकाय के कृत्यों का सम्पादन करने वाली अथवा उससे सम्बद्ध स्थानीय निकाय के अभिलेखों और उसकी कार्यवाहियों का भी समय-समय पर निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है।

(2) निदेशक—

(क) किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को (जिसके अन्तर्गत कोई स्थानीय निकाय भी है) निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का, या

(ख) किसी स्थानीय निकाय को बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित अपने कृत्यों का सम्पादन करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करने पर अथवा अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का,

निर्देश दे सकता है।

(3) यदि किसी बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक प्रबन्धाधिकरण द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्—

(क) किसी ऐसे बेसिक स्कूल की दशा में जो स्थानीय निकाय का न हो, ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए मामला परिषद् को अभिदिष्ट कर सकता है, या

(ख) किसी ऐसे बेसिक स्कूल की दशा में, जो स्थानीय निकाय का हो, परिषद् को उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकता है।

(4) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् उस स्कूल की मान्यता वापस ले सकती है।

(5) यदि किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् का यह समाधान हो जाय कि स्कूल के कार्यकलापों का ठीक प्रबन्ध नहीं हो रहा है अथवा उस स्थानीय निकाय ने जिसका स्कूल हो उसके सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में जानबूझ कर अथवा निरन्तर चूक की है, तो परिषद आदेश द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, पांच वर्ष से ऐसी अनधिक अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, स्थानीय निकाय को अपवर्जित करके, स्कूल का प्रबन्ध, जिस के अन्तर्गत स्कूल की भूमि, भवन, निधियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां भी हैं, अपने हाथ में लेने का निदेश दे सकती है, और तदुपरान्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, केवल ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जो परिषद् द्वारा आरोपित किये जायं, स्कूल के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां तथा प्राधिकार उपलब्ध होंगे जो स्थानीय निकाय को उपलब्ध होते, यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता।

(6) यदि स्थानीय निकाय उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन दिये गये किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् मामला परिषद् को उपधारा (7) के अधीन कार्यवाही करने के लिए अभिदिष्ट कर सकता है।

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन कोई सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् का यह समाधान हो जाय कि स्थानीय निकाय ने बेसिक शिक्षा के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करने में जान-बूझ कर अथवा निरन्तर चूक की है अथवा बेसिक शिक्षा के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार से प्राप्त किसी अनुदान का दुरुपयोग किया है अथवा उसे व्यावर्तित किया है, तो परिषद् मामला राज्य सरकार को उपधारा (8) के अधीन कार्यवाही के लिए अभिदिष्ट कर सकती है।

(8) राज्य सरकार उपधारा (7) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाय, बेसिक शिक्षा के संबंध में स्थानीय निकाय की शक्ति तथा कृत्य, ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय, परिषद् को अन्तरित हो जायगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन किसी अधिसूचना में, उसके प्रवर्तन की अवधि में, ऐसी विधि के जिससे स्थानीय निकाय संघटित हो, अनुकूलन के लिए ऐसे उपबन्ध हो सकते हैं जो उपधारा (8) में अभिदिष्ट निदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो, और उसमें ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबन्ध भी हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण

13--(1) परिषद् ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाय।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा अपनी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में या प्रयोग किये जाने के संबंध में और अपने किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में अथवा संपादित किये जाने के संबंध में परिषद् और राज्य सरकार के बीच, अथवा परिषद् और किसी स्थानीय निकाय के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा यथास्थिति, परिषद् या स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

(3) परिषद् या कोई स्थानीय निकाय राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन, विवरणियां तथा अन्य सूचना प्रस्तुत करेगी जिसकी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अपेक्षा करे।

प्रत्यायोजन की शक्ति

14--(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई शक्ति ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो निर्दिष्ट की जाय, निदेशक अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि विनियमों को बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष या ऐसी समिति अथवा अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, किया जा सकता है।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण

15--राज्य सरकार या परिषद् अथवा उसकी किसी समिति या परिषद् के अथवा किसी समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

16—इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिषद् अथवा उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निणय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसरानुकूल, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अथवा किसी ऐसी अधिनियमिति के जिसके द्वारा अथवा अधीन कोई स्थानीय निकाय संघटित हो, किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का भी उपबन्ध है, जिनसे तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, और जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर समझे, बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

स्थानीय निकायों से संबंधित अधिनियमों का संशोधन

18—(1) नियत दिनांक से, उपधारा (2) और (3) में उल्लिखित अधिनियमितियां उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जायेंगी।

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में, धारा 43 में, उपधारा (2) में, शब्द "अध्यापकों के तथा" निकाल दिये जायें, और उपधारा (3) में खण्ड (क) निकाल दिया जाये और उसको प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "यथास्थिति, शिक्षा चुनाव समिति या चुनाव समिति" के स्थान पर शब्द "चुनाव समिति" रख दिये जायें।

(3) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में—

(क) धारा 68 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(1) बोर्ड, विशेष संकल्प द्वारा अपने प्राविधिक विभागों के मुख्य अधिकारी जैसे सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता या ओवरसियर तथा जहां पहले स कोई कार्यपालक अधिकारी हो, सचिव की नियुक्ति कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर करेगा।";

(ख) धारा 73 निकाल दी जाय;

(ग) अनुसूची 1 में, स्तम्भ 2 में, धारा 68 से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्—

"सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत् अभियन्ता, सहायक विद्युत् अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत् एवं जल-कल अभियन्ता, अर्हता प्राप्त ओवरसियर या सब-ओवरसियर अथवा सचिव नियुक्त करना।"

नियम बनाने की शक्ति

19—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, और विशेषतया, किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों क अध्यापकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1972 का निरसन

20—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश, 1972, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी०—170 जनरल (लेग०)—1973—1,825 (मे०)।

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 18 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) in sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (*e*) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (*b*) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (*c*) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (*d*) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (*c*) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (*d*) *for* the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) in clause (*e*) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchyats or Municipalities" shall be *substituted* ;

(d) In clause (*f*) the words "and in particular, to accept gift of any building or equipment of any basic school or normal school on such conditions as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely;—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(*f*) clause (g-2) shall be *omitted*.

Amendment of section 5

5. In section 5 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*,

(*b*) in sub-section (2),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (*d*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

Insertion of new section 9-A

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Control of teacher and properties of basic schools

9-A(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,—

(*a*) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school, is situated ;

(*b*) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*c*) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be ;

(*d*) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (2) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10,10-A and 11

7. *For* section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Functions of Zila Panchayats

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshettra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(*b*) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(*c*) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

Functions of Municipalities

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(*b*) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(*c*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(*d*) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(*e*) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

Gaon Shiksha Samiti and its function

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(*a*) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(*b*) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(*c*) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(*b*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

U. P. Ordin no. 4 2000

U. P. Ordin no. 1 1999

U. P. Ordin no. 1 1999

पी0

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

Omission of section 12-A

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*.

Insertion of new section 13-A

9. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"13-A. Over riding effect—Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect."

Amendment of section 14

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*;

Amendment of section 17

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*.

Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 4 of 2000

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

U. P. Ordinance no. 13 of 1999

U. P. Ordinance no. 16 of 1999

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 46 सा० विधा०—(434)–2000–850 (मेक०)।

क्रम-संख्या–10

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 जनवरी, 2018

पौष 15, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2727/79-वि-1–17-1(क) 22-17

लखनऊ, 5 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 5 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 19 अगस्त, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा :

परन्तु यह कि इस उप धारा के प्राविधान दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 से पूर्व मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, की धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्डों को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ–1) "जूनियर बेसिक स्कूल" का तात्पर्य बेसिक स्कूल से है, जिसमें कक्षा पाँच तक की शिक्षा दी जाती है।

(घ–2) "जूनियर हाई स्कूल" का तात्पर्य बेसिक स्कूल से है, जिसमें छठवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक लड़कों या लड़कियों या दोनों को शिक्षा दी जाती है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2017

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2017 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना का उपबन्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1972) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में पद "बेसिक शिक्षा" इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि बेसिक शिक्षा का तात्पर्य हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट कालेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और तद्नुसार पद "बेसिक स्कूलों" का अर्थ लगाया जायेगा। पद "जूनियर बेसिक स्कूल" और "जूनियर हाई स्कूल" उसमें परिभाषित नहीं थे जिसके कारण राज्य सरकार के समक्ष विषम स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं और विभिन्न न्यायालयों में संस्थित वादों का निस्तारण प्रायः वादियों के पक्ष में हो रहा था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि पद "जूनियर बेसिक स्कूल" और "जूनियर हाई स्कूल" को परिभाषित करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2017) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2727(2)/LXXIX-V–1–17-1(ka) 22-17
Dated Lucknow, January 5, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 5, 2018 :–

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. ACT NO. 2 OF 2018)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eight Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 19, 1972.

Provided that the provisions of this sub-section shall not affect anything done or any action taken before 26th October, 2017 under the principal Act.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, *after* clause (d) the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(d-1) "Junior Basic School" means a basic school in which education is imparted upto class fifth.

(d-2) "Junior High School" means a basic school in which education is imparted to boys or girls or to both from class sixth to class eighth."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 3 of 2017

3.(1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2017 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the coresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 (U.P Act no. 34 of 1972) has been enacted to provide for the establishment of a Board of Basic Education in the Sate of Uttar Pradesh. In clause (b) of section 2 of the said Act, the expression " basic education" has been defined in this way that "basic education" means education upto the eighth class imparted in schools other than high schools or intermediate colleges, and the expression "basic schools" shall be construed accordingly. The expressions "junior basic school" and "junior high school" were not defined therein due to which odd situations were being created before the State Government and the cases instituted in various courts were often being disposed off in favour of the plaintiffs. In view of the above, it has been decided to amend the said Act to define the expressions "junior basic school" and "junior high school".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2017 (U.P. ordinance no. 3 of 2017) was promulgated by the Governor on October 26, 2017.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 798 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2505)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 159 सा0 विधायी–2018–(2506)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।